Tel. No. Office: 0612-2452585
Fax. No.: 0612-2452586
Email-Id: office@bipard.in
bipardpatna@yahoo.in

बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान

वाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना – 801505

Bihar Institute of Public Administration & Rural Development

Walmi Campus, Phulwari Sharif, Patna – 801505

सूचना संख्या–प्रशि6/ATI/2022-4465 दिनांक–07.10.2022

आवासीय होटलों/आवासीय परिसरों/हॉस्पिटलिटी फर्म के पैनल के संबंध में सूचना।

बिपार्ड बिहार सरकार के अधीन एक पंजीकृत संस्थान है, जो प्रशिक्षण इत्यादि कार्यों के लिए नोडल संस्थान चिन्हित की गयी है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करना है। विभिन्न श्रेणी के पदाधिकारी/कर्मचारी अपने सेवाकाल में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूरा करने हेतु संस्थान में आते हैं। बिपार्ड का यह दायित्व है कि वह संबंधित विभाग के पदाधिकारीयों/कर्मचारियों को उनकी सेवा संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण समय–समय पर देता रहे।

यद्यपि बिपार्ड के पास अपनी आवासीय व्यवस्था है किंतु कभी–कभी कतिपय विभागों के प्रशिक्षण संबंधी आवेदन इतने अधिक संख्या में आ जाते हैं कि बिपार्ड की अपनी आवासीय व्यवस्था कम पड़ जाती है। ऐसे में बिपार्ड निजी क्षेत्र के होटलों/आवासीय परिसरों को खोजने के लिए बाध्य हो जाता है, जहाँ पर वह अपने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण अवधि तक रख सके तथा उनकी कक्षा भी ली जा सके।

अतः उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए बिपार्ड द्वारा यह तय किया गया है कि राज्य के सभी प्रमण्डलीय मुख्यालयों यथा पटना, गया, भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा, सारण, मुजफ्फरपुर, कोशी तथा पूर्णिया के अतिरिक्त पटना से नजदीक शहर यथा हाजीपुर, छपरा एवं नालंदा में भी ऐसे आवासीय होटलों/आवासीय परिसरों/हॉस्पिटलिटी फर्म को सूचीबद्ध करें, जहाँ पर आवश्यकतानुसार प्रशिक्षणार्थियों को ठहराया जा सके और उनके प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था हो सके। इच्छुक आवासीय होटल/आवासीय परिसर/हॉस्पिटलिटी फर्म के स्वामी बिपार्ड में आवेदन दे सकते हैं। न्यूनतम आवश्यकतायें/सुविधायें निम्न प्रकार होनी चाहिए।

1. न्यूनतम कमरों की आवश्यकता :– 25 (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या को देखते हुए प्रत्येक कमरे में 2 या 3 प्रशिक्षणार्थियों को ठहरने की व्यवस्था की जा सकती है।)
2. आवासीय होटल/परिसर में भोजन, चाय, नाश्ता आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।
3. आवासीय होटल/परिसर में सुबह पी0टी0 तथा संध्या को योगा करने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
4. एक बड़ा सभा कक्ष होना चाहिए, जिसमें लगभग 50 प्रशिक्षणार्थी बैठ सके और वहाँ कक्षायें चल सकें।
5. सभा कक्ष में आवश्यक संख्या में टेबल, कुर्सी होनी चाहिए।
6. सभा कक्ष में एक प्रोजेक्टर/स्क्रीन की सुविधा भी होनी चाहिए।

आवासीय होटल/परिसर/हॉस्पिटलिटी फर्म के स्वामी यदि उपरोक्त सुविधा प्रदान कर सकते हैं तो कृपया अपने प्रस्ताव के साथ बिपार्ड को आवेदन भेजें।

वित्तीय प्रस्ताव :– आवेदन भेजते समय प्रति बेड प्रतिदिन की दर का भी उल्लेख करें। उस दर में जी0एस0टी0 शामिल होना चाहिए। साथ ही भोजन, चाय, नाश्ता, सभा कक्ष, प्रोजेक्टर स्क्रीन, प्रशिक्षण सहित आदि भी शामिल होना चाहिए। अतः स्वीकृत दर, प्रति बेड प्रतिदिन का उल्लेख करें, जिसमें उपरोक्त सभी सुविधायें देय हों।

प्राप्त आवेदनों के आधार पर बिपार्ड का एक दल संबंधित आवासीय परिसर/होटल का निरीक्षण करेगा और तत्पश्चात् उक्त आवासीय होटल/परिसर/हॉस्पिटलिटी फर्म को सूचीबद्ध किया जायेगा।

यह आवश्यक नहीं है कि बिपार्ड हमेशा उक्त होटल/आवासीय परिसर/हॉस्पिटलिटी फर्म का इस्तेमाल करेगा परंतु जब भी प्रशिक्षणार्थियों की संख्या बढ़ेगी तो होटल/आवासीय परिसर/ हॉस्पिटलिटी फर्म के स्वामी से आपसी विमर्श कर प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथि निर्धारण किया जायेगा।

उपरोक्त के आधार पर इच्छुक आवासीय होटल/परिसर के स्वामी/फर्म अपना आवेदन एवं अपना वित्तीय प्रस्ताव दिनांक 20.10.2022 तक निम्न पते पर डाक/ई–मेल के माध्यम से भेज सकते हैं।

श्री अविनाश कुमार, सहायक निदेशक, बिपार्ड
वाल्मी परिसर फुलवारी शरीफ।
संर्पक व्यक्ति – मो0 शहनावाज
फोन–9334278081,ई–मेल dgbipard@yahoo.in, ad-bipard-admin@bihar.gov.in